संख्या-21/आई/1226134/2026/003-89-1099-86-2025

प्रेषक,

मनोज वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2026

विषयः- विधानसभा क्षेत्र-दादरी, गोतमबुद्धनगर के ग्राम सलारपुर कला, परगना व तहसील दादरी मे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-159/आई/1182893/2025/89-1099/211/2022 दिनांक 24.12.2025, जिसके द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सलारपुर कला, दादरी, गौतमबुद्धनगर के भवन निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1785.10 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सलारपुर कला, दादरी, गौतमबुद्धनगर के भवन निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत रू0 1785.10 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि **रूपये 892.55 लाख (रूपये आठ करोड़ बानवे लाख पचपन हजार मात्र)** को स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति उक्त शासनादेश दिनांक 24.12.2025 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी वित्तीय अनियमिमता का उत्तरदायित्व निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
4. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
7. कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशालय/कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।
8. पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,92,55,000 (रुपये आठ करोड़ बानबे लाख पचपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 069 **लेखा शीर्षक** 4250002030500 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-11-379-X-2025-26, दिनांक- 02 फरवरी, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम ,उ0प्र0 प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5- प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
7- वित्त नियंत्रक, सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- सम्बंधित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।